

ग्राम पंचायत कांगल, विकास खण्ड नारकंडा, जिला शिमला
के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016

1 प्रस्तावना

(क) 11 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि. प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत कांगल, विकास खण्ड नारकंडा, जिला शिमला के अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत कांगल में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	Shri Hament Verma	23.01.2011 to 22/01/2016
2	Smt. Roshani Devi	23.01.2016 to till date

सचिव

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	Shri Girja Nand	09.06.2011 to till date

(ख) गम्भीर अनियमितता का सार:- ग्राम पंचायत कांगल के अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्र० सं०	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5(ख)	बैंक समाधान विवरणी न बनाए जाने के कारण रोकड़ बही और संबन्धित बैंक खातों के अंतिम शेष में अन्तर पाया जाना	0.61
2	7	दिनांक 31.03.2016 तक पंचायत राजस्व का राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.23
3	8	दिनांक 31.03.2016 तक अनुदानों की राशि का उपयोग न किया	21.65

		जाना	
4	9	निर्माण कार्यों के प्राकलन तैयार किए बिना ही व्यय करना	0.91
5	10	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक स्टोर का क्रय करना	1.89
6	11	क्रय किए गए स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की भंडारण पुस्तकों में प्रविष्टि न करना	4.95

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत कांगल , विकास खण्ड नारकंडा , जिला शिमला के अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण , श्री अनिल शर्मा अनुभाग अधिकारी एवं श्री रविन्द्र सिंह अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 13.07.2016 से 16.07.2016 के दौरान ग्राम पंचायत बड़ागांव के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

वर्ष	आय	व्यय
2013-14	3/2014	2/2014
2014-15	3/2015	2/2015
2015-16	3/2016	1/2016

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत कांगल , विकास खण्ड नारकंडा , जिला शिमला के अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹8000/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हि. प्र. शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अध्याचना संख्या 73/2016 दिनांक 15.07.2016 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत कांगल से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत कांगल द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी।

(क) स्व स्त्रोत (Own Sources):- ग्राम पंचायत कांगल की अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016 की स्व स्त्रोत एवं Grant in Aid (Other than MG Nrega & Integrated Water Shed Project) की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न दिया गया है , जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट- 1(क) तथा 1(ख) पर दिया गया है।

सचिव ग्राम पंचायत द्धारा सूचित किया गया कि MG Nrega & Integrated Water Shed Project के अतिरिक्त प्राप्त अन्य अनुदानों और Own Sources की आय/व्यय को एक ही रोकड़ बही में लेखांकित किया गया है तथा साथ ही MG Nrega & Integrated Water Shed Project के अतिरिक्त प्राप्त अन्य अनुदानों को Own Sources की आय सहित बैंक खातों में जमा करवाया गया है। अतः रोकड़ बही अनुसार वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से प्रस्तुत की गई है।

Financial Position of Panchayat Kangal Block Narkanda Distt. Shimla

Year	Own Sources & GIA Recorded in General Cash Book					Closing Balance
	Opening Balance	Receipt during the year	Interest	Total	Expenditure	
2013-14	681185.22	2168233.60	44309.00	2893727.82	968374.70	1925353.12
2014-15	1925353.12	1127275.00	79552.00	3132180.12	1300613.51	1831566.61
2015-16	1831566.61	2504370.00	86631.00	4422567.61	1382587.78	3039979.83

Note :- दिनांक 01.04.2013 को दर्शाये गए Opening Balance में रोकड़ बही में लेखांकित Cash in hand के अतिरिक्त विभिन्न Bank Account Pass Books में दर्शाये गए Bank Balance को भी सम्मिलित किया गया है।

(ख) अनुदान (Grant in Aid):- ग्राम पंचायत कांगल की अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016 की अनुदानों (MG Nrega & Integrated Water Shed Project) की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1(ग) में भी दिया गया है:-

Consolidated Financial Position of MG Nrega & Integrated Water Shed Project in R/o Panchayat Kangal Block Narkanda Distt. Shimla

Year	Opening Balance	Receipt during the year	Interest	Total	Expenditure	Closing Balance
2013-14	221607.60	1814872.00	11963.00	2048442.60	1871722.50	176720.10
2014-15	176720.10	1454657.00	11244.00	1642621.10	1167915.30	474705.80
2015-16	474705.80	1326417.94	17080.00	1818203.74	1818102.94	100.80

Note :- दिनांक 01.04.2013 को दर्शाये गए Opening Balance में रोकड़ बही में लेखांकित Cash in hand के अतिरिक्त विभिन्न Bank Account Pass Books में दर्शाये गए Bank Balances को भी सम्मिलित किया गया है।

5 (क) रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

ग्राम पंचायत कांगल की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था , जबकि हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये पंचायत की रोकड़ बहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 15(1) के अनुसार मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार करनी अनिवार्य है। अंकेक्षण में जाँच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत कांगल द्वारा अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016 के दौरान मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी, जिस कारण से दिनांक 31.03.2016 को रोकड़ बही और संबन्धित बैंक खातों के अंत शेष में ₹61421.39 का अन्तर था। इस संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 70-71/2016 दिनांक 13.07.2016 के माध्यम से सचिव ग्राम पंचायत को इस अन्तर के कारणों को स्पष्ट करने बारे और इस अन्तर को समायोजित किए जाने बारे आग्रह किया गया था। सचिव ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण दल को सूचित किया गया कि ₹28097.50 का अन्तर दिनांक 01.04.2013 से पहले की अवधि का है और ₹33323.89 का अन्तर अंकेक्षण अवधि के दौरान का है, जिसका समाधान उनके द्वारा शीघ्र कर लिया जायेगा (परिशिष्ट- 1 घ)। अतः नियमों की अवहेलना करके मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त दिनांक 31.03.2016 को रोकड़ बही के अंत शेष और बैंक खातों के अंत शेष के अन्तर को प्राथमिकता के आधार पर समायोजित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही के अनुसार तैयार की गई वित्तीय स्थिति अनुसार दिनांक 31.03.2016 को अंतिम शेष (Note :- दिनांक 01.04.2013 को दर्शाये गए Opening Balance में रोकड़ बही में लेखांकित Cash in hand के अतिरिक्त विभिन्न Bank Account Pass Books में दर्शाये गए Bank Balances को भी सम्मिलित किया गया है।) 3039979.83

दिनांक 31.03.2016 को Cash in Hand और बैंक खातों में जमा राशि का ब्यौरा

Cash In Hand	0.00
Account No.110 Of HPSC Bank Narkanda	1995219.11
Account No.45 Of HPSC Bank Narkanda	56164.20

Account No. 28293 of PNB Bank Bara Gaon	158095.63
Account No 11409 of UCO Bank Kangal	5693.00
Account No 11249 of UCO Bank Kangal	108345.00
Account No 11256 of UCO Bank Kangal	75803.00
Account No 11263 of UCO Bank Kangal	37499.00
Account No 11188 of UCO Bank Kangal	16050.48
Account No 11232 of UCO Bank Kangal	78054.00
Account No 11423 of UCO Bank Kangal	175308.80
Account No 11386 of UCO Bank Kangal	38249.00
Account No 11270 of UCO Bank Kangal	356920.00
Total	3101401.22
Difference	-61421.39

6 बजट प्रा कलन तैयार न करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्रा कलन केवल मात्र ग्राम पंचायत की कार्यवाही पुस्तिका (Minutes Book of Gram Panchayat) में तैयार किया गया था एवं पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में ही पंचायत का अनुमोदन लेकर ही इसे पारित करवाया गया था। इस प्रकार सचिव द्वारा निर्धारित फार्म -11 पर बजट प्राकलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

7 पंचायत राजस्व की ₹0.23 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

पंचायत की स्व स्रोतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा परिशिष्ट -2 में दिये गए विवरणानुसार दिनांक 31.03.2016 तक राजस्व की ₹ 0.23 लाख वसूली हेतु शेष थी। अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

8 अनुदान ₹21.65 लाख का उपयोग न करना

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को प्रस्तुत की गई वित्तीय स्थिति के अनुसार Own Sources और अन्य अनुदानों (MG Nrega & Integrated Water Shed Project के अतिरिक्त) दिनांक 31.03.2016 को अन्तिम शेष ₹ 3039979.83 दर्शाया गया है, जबकि अन्य अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट- 3) के अनुसार दिनांक 31.03.2016 तक ₹2165763.00 उपयोग हेतु शेष थी। साथ ही Integrated Water Shed Project की अनुदान की ₹ 100.80 शेष थी। इस प्रकार कुल

₹2165863.80 दिनांक 31.03.2016 तक उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्तों के अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये अनुदानों के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से समय अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यापन संबंधित संस्था को किया जाए।

- 9 निर्माण कार्यों के प्राकलन तैयार किए बिना ही ₹ 0.91 लाख का व्यय करना
हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹ 50000/- व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राकलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से संबंधित व्यय वाऊचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा परिशिष्ट-4 में दिये गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर ₹ 90977 का व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राकलन तैयार किए बिना ही किया गया, जोकि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्रोत से करने के उपरांत अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाए।
- 10 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹ 1.89 लाख के स्टॉक स्टोर का क्रय करना
हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) के अंतर्गत स्टॉक स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएँ प्रावधित हैं। व्यय वाऊचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट-5 में दिये गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹ 189377 के स्टॉक स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- 11 क्रय किए गए ₹ 4.95 लाख के स्थाई एवं अस्थायी भण्डार की भंडारण पुस्तकों में प्रविष्टि यां न करना
हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1)(a,b,c एवं d) के अंतर्गत पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का उसकी स्थाई एवं अस्थायी प्रकृति के अनुरूप फार्म 25, 26, 27 एवं 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण में क्रय की गई सामग्री की जाँच करने में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 1/4/2013 से

31/3/2016 के दौरान क्रय की गई ₹ 495412 की विभिन्न प्रकार की मदों, जिनका विवरण परिशिष्ट-5.1 में दिया गया है, को भण्डार पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया था, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

12 मस्टरोल के अंतर्गत ₹ 486 का अधिक भुगतान करना

अंकेक्षण में चयनित मासों के दौरान भुगतान किए गए विभिन्न निर्माण कार्यों से संबन्धित मस्टरोल की जाँच करने पर पाया गया कि मस्टरोल संख्या 796, जिसका पूर्ण विवरण निम्न प्रकार दिया गया है, के अंतर्गत ₹ 486 का अधिक भुगतान किया गया था। अतः अधिक भुगतान की गई राशि को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इस अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए और अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

Name of Work	Mustroll No.	CB Page No. 36(MG Nrega)	Name of Month for which payment was made	To whom payment was made	Amount Paid	Amount due	Excess payment
भूमि सुधार नोख राज	796	36	01.10.2015 से 14.10.2015	Sh. Anant Ram	2268.00	1782.00 (11Days@ 162)	486.00
Total							486.00

13 विहित रजिस्ट्रों का रख-रखाव न करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक हैं। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्ट्रों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम संख्या	रजिस्टर / अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	मासिक बैंक समाधान विवरणी		15(1)
3	क्लासीफाइड एबस्ट्रैक्ट (Classified Abstract)	8	29(4)
4	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
5	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

14 प्रत्यक्ष सत्यापन

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि अंकेक्षण अवधि के 1/4/2013 से 31/3/03/2016 के दौरान

पंचायत प्रधान द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है , जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

15 विविध अनियमितताएँ

(क) रोकड़ बही का लेखांकन नियमानुसार न किया जाना

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 के अंतर्गत ग्राम पंचायत की प्राप्त आय और अनुदानों की राशि को बैंक में दो खातों में जमा करवाया जायेगा। यह खाते पंचायत फंड - A और पंचायत फंड - B होंगे। पंचायत फंड - A में ग्राम पंचायत के स्वः स्रोत आय जमा होगी जबकि पंचायत फंड - B में अनुदानों से संबन्धित आय जमा की जायेगी । सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत की आय व्यय और अनुदानों के लेखांकन हेतु निम्न रोकड़ बहियों का निर्माण किया गया है तथा साथ ही प्राप्त स्वः स्रोत आय और अनुदानों को 14 विभिन्न बैंक खातों में जमा करवाया गया था , जबकि उपरोक्त नियम के अनुसार दो बैंक खाते खोले जाने थे और पंचायत फंड - A और पंचायत फंड - B के अनुसार ही रोकड़ बही का लेखांकन किया जाना चाहिए था। अतः पंचायत फंड - A और पंचायत फंड - B के अनुसार ही रोकड़ बही का लेखांकन न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

General Cash Book	इस रोकड़ बही में Own Sources और विभिन्न GIA (Other than Water Shed Grant, एवं MG NREGA) का लेखांकन किया गया था।
Cash Book for MANREGA	इस रोकड़ बही में MG NREGA से संबन्धित प्राप्ति एवं व्यय का लेखांकन किया गया था।
Cash Book for Integrated Water Shed Grant	इस रोकड़ बही में Integrated Water Shed Project Grant से संबन्धित प्राप्ति एवं व्यय का लेखांकन किया गया था।

उपरोक्त के अतिरिक्त ग्राम पंचायत कांगल द्वारा हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 से 3) में वर्णित नियमानुसार रोकड़ बही का निर्माण नहीं किया गया था , जैसे कि वर्ष के अंत में रोकड़ बही में पंचायत सचिव द्वारा Cash in hand के साथ संबन्धित बैंक खातों का कोई विवरण नहीं दिया गया था। अतः सभी रोकड़ बहियों का निर्माण उपरोक्त वर्णित नियम 7 के अनुसार न किए बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी समस्त आय व्यय के वर्गीकरण हेतु फार्म -8 पर

Classified

Abstract का निर्माण किया जाना अनिवार्य था , परंतु सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि प्राप्त आय- व्यय के वर्गीकरण हेतु फार्म -8 पर Classified Abstract का निर्माण नहीं किया गया था। Classified Abstract का निर्माण न किए जाने के कारण अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त आय और उसमें से किए गए व्यय का बजट प्रावधानों के साथ मिलान नहीं किया जा सका। अतः नियम 29(4) के अनुसार Classified Abstract का निर्माण न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ग) ग्राम पंचायत की आय से संबन्धित विभिन्न अभिलेखों की पढ़ताल करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत कांगल द्वारा आय के संग्रह के लिए जारी रसीदों को स्टॉक रजिस्टर में लेखांकित नहीं किया गया था। स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न किए जाने के कारण अंकेक्षण में इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी कि अंकेक्षण अवधि के दौरान जारी की गई सभी रसीदों से प्राप्त आय को रोकड़ बही में लेखांकित किया गया था अथवा नहीं ? अतः आय संग्रह हेतु जारी की गई रसीदों की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए साथ ही भविष्य में सभी रसीदों को जारी किए जाने से पूर्व इनकी स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की जानी सुनिश्चित की जाए।

16 लघु आपति विवरणिका :- लघु आपति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है, लघु आपतियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया ।

17 निष्कर्ष :- लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता / -
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

पृष्ठांकन संख्या:- फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(1) 13 / 2016-खण्ड-1-5345-5348 दिनांक:06.10.2016
शिमला-171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- पंजीकृत**
- 1 सचिव, ग्राम पंचायत कांगल, विकास खण्ड नारकंडा, जिला शिमला, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्यवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
 - 2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्यवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
 - 3 जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला, हि0प्र0
 - 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नारकंडा, जिला शिमला, हि0प्र0

हस्ता / -
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

